SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: No allegations should be made in Zero Hour. You are aware of the rule position. You can definitely express concern. Now, Shri Shaktisinh Gohil.

Slow speed of Corona vaccination in the country

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ज़रिए एक बड़े गम्भीर विषय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम सब खुश थे कि कोरोना वायरस का ग्राफ नीचे जा रहा था, परन्तु कुछ दिनों से बड़ी चिन्ता हो रही है, क्योंकि एक ही दिन में 25-25 हज़ार कोरोना केसेज़ बढ़ रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया, चिन्ता जतायी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आप वैक्सीन बाहर दे रहे हैं - पहले देश में वैक्सीन पूरी क्यों नहीं हो रही है? आप डोनेट करते हैं या बेचते हैं, उससे पहले देश की चिन्ता कीजिए। जब प्रशासन ने कहा कि हम आने वाले दिनों में करेंगे, the Delhi High Court has said, "You are saying, we would do it tomorrow. We say, it should have been done yesterday." आप कहते हैं कि आने वाले दिनों में करेंगे, वह बीते हुए दिनों में हो जाना चाहिए था।

मान्यवर, मैं एक ही आखिरी बात करके अपनी बात समाप्त करूँगा। जो वैक्सिनेशन हो रहा है, अभी तक सेकंड डोज़ जिनको मिली है, उनकी टोटल फिगर परसों तक का देखें, तो 0.35 परसेंट को ही मिली है और अगर इसी रफ्तार से हम चलें, तो 70 प्रतिशत आबादी का वैक्सिनेशन करने के लिए 12 साल 6 महीने लगेंगे और 100 प्रतिशत करने के लिए 18 साल लगेंगे। मान्यवर, मैं आपके ज़रिए सरकार से विनती करता हूँ कि इसकी रफ्तार बढ़े, जल्द से जल्द सबको वैक्सीन मिले, उसकी व्यवस्था हो, धन्यवाद।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

श्री नारायण दास गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री सुभाष चंद्र सिंह (ओडिशा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

चौधरी सुखराम सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI KUMAR KETKAR (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: The point is, the Government has to take care of various aspects. I am not going into details. We must understand that the Court has given some order. It is now pending before the Supreme Court. Now, Shri Sanjay Singh.

Need for extra attempt for candidates in Civil Services Examination, 2021 due to Covid situation

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान यूपीएससी के परीक्षार्थियों के मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ।

मान्यवर, यूपीएससी के वे परीक्षार्थी, जो कोरोना महामारी के कारण परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सके और उम्र सीमा होने के कारण यह उनका अन्तिम मौका था, अन्तिम चांस था, उनमें से बहुत सारे परीक्षार्थी खुद कोरोना बीमारी के शिकार हुए, उनके पिता शिकार हुए, उनकी माता शिकार हुई, उनके परिवार के लोग शिकार हुए। वे बच्चे हमारे पास मिलने के लिए आये थे। उनमें से एक परीक्षार्थी ऐसी थी, जिसने बताया कि उसकी माँ और उसके पिता, दोनों का देहान्त इस कोरोना महामारी के कारण हो गया। तो मान्यवर, इस परीक्षा में हिस्सा न लेने की वजह उनकी योग्यता नहीं, उनकी क्षमता नहीं, उनकी तैयारी नहीं, बल्कि यह महामारी का दोष है, उसका कारण है। उनमें से बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी थे, जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस में हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान काम किया, लोगों की सेवा की।

मान्यवर, ऐसा पहली बार नहीं है। वर्ष 2011 में भी यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने जब अतिरिक्त मौका माँगा था, अतिरिक्त चांस माँगा था, तो 2015 में सरकार ने उनको अतिरिक्त मौका दिया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें उन छात्रों का कोई दोष नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए सरकार उनके बारे में गम्भीरतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उनको अतिरिक्त मौका दिया जाए।

मान्यवर, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा। वे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गये। वहाँ पर सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बाकायदा आश्वस्त किया गया कि इन लोगों को अतिरिक्त मौका देने के बारे में सरकार विचार कर रही है। अगर आप विचार कर रहे हैं, तो उस विचार को कार्य में परिवर्तित कीजिए और उन छात्रों को, उन परीक्षार्थियों को अतिरिक्त मौका देने की कृपा कीजिए, जिससे उनके भविष्य पर कोई आँच न आये और उनको यह अतिरिक्त मौका मिल सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूँ।

श्री नारायण दास गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।